

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2427 / 2023


दिनांक 21.08.2023

श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ00312). विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को दिनांक 24.07.2023 से 28.07.2023 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 29.07.2023 से 30.07.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा /अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/16/2000/5334

दिनांक 21.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 58 दिनांक 31.07.2023 के सन्दर्भ में।
4. श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ00312). विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा।


सहायक रजिस्ट्रार